**पटना उच्च न्यायालय में**
**लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 121/2021**
**में**
**सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 7906/2020**

= = = =

6. पुलिस उप महानिरीक्षक, (कार्मिक), बिहार, पटना।

7. पुलिस अधीक्षक, जिला–गोपालगंज।

8. पुलिस अधीक्षक, जिला–अरवल।

9. पुलिस निरीक्षक–सह–संचालन अधिकारी, ओएसडी, जिला–गोपालगंज।

**... ... ... ... ... ... ..याचिकाकर्ता**

बनाम

शैलेन्द्र कुमार सिंह उर्फ शैलेन्द्र कुमार, पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट– अरक परिजन टोला, थाना– कृष्णा बृज, जिला–बक्सर।

**... ... ... ... ... ... ... ...प्रत्यर्थी**

= = = =

साथ में

**लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 224/2021**
**में**
**सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 7909/2020**

= = = =

6. पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) बिहार, पटना।

7. पुलिस अधीक्षक, जिला–गोपालगंज।

8. पुलिस अधीक्षक, जिला–बांका।

9. पुलिस निरीक्षक–सह–ओएसडी–सह–संचालन अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिला–गोपालगंज।

**... ... ... ... ... ... ..याचिकाकर्ता**

बनाम

मिथिलेश्वर सिंह, पुत्र सत्यनारायण सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट– भरपुरा, थाना– सोनपुर, जिला– सारण, छपरा।

**... ... ... ... ... ... ... ... .प्रत्यर्थी**

= = = =

साथ में

**लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 234/2021**

**में**

**सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 7896/2020**

= = = =

8. पुलिस अधीक्षक, जिला–जहानाबाद

9. पुलिस निरीक्षक–सह–संचालन अधिकारी, कार्यालय में ओएसडी पुलिस अधीक्षक, जिला–गोपालगंज

**... ... ... ... ... ...याचिकाकर्ता**

बनाम

मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुमार, पुत्र मदन सिंह, निवासी ग्राम एवं डाकघर– हरपुर एकमा, थाना– एकमा, जिला– सारण, छपरा

**... ... ... ... ... ... ... ..प्रत्यर्थी**

= = = =

साथ में

**लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 245/2021**
**में**
**सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 7912/2020**

= = = =

5. पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण रेंज, जिला–छापरा।

6. पुलिस उप महानिरीक्षक, (कार्मिक), बिहार, पटना।

7. पुलिस अधीक्षक, जिला–गोपालगंज।

8. पुलिस अधीक्षक, जिला–सिवान।

9. पुलिस निरीक्षक–सह–संचालन अधिकारी, निषेध प्रकोष्ठ, जिला–गोपालगंज।

**... ... ... ... ... ... .याचिकाकर्ता**

बनाम

नवल कुमार सिंह, पुत्र यदुनंदन सिंह, निवासी ग्राम– भलार, थाना– धरहरा, जिला–मुंगेर।

**... ... ... ... ... ... ... ..प्रत्यर्थी**

= = = =

साथ में

**लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 256/2021**
**में**
**सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 7865/2020**

= = = =

6. पुलिस उप महानिरीक्षक, (कार्मिक), बिहार, पटना।

7. पुलिस अधीक्षक, जिला–गोपालगंज।

8. पुलिस अधीक्षक, जिला–सारण।

9. पुलिस निरीक्षक–सह–अधिकारी, प्रभारी–सह–संचालन अधिकारी, टाउन पुलिस स्टेशन, जिला–गोपालगंज।

**... ... ... ... ... ... .याचिकाकर्ता**

बनाम

मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार साव, पुत्र नारायण साव, निवासी ग्राम–महुली, पोस्ट– गिद्धौर, थाना– खैरा, जिला– जमुई

**... ... ..... ... ... ... ... प्रत्यर्थी**

= = = =

साथ में

**लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 470/2021**
**में**
**सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 7891/2020**

= = = =

5. पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण रेंज, जिला–छापरा।

6. पुलिस उप महानिरीक्षक, (कार्मिक), बिहार, पटना।

7. पुलिस अधीक्षक, जिला–गोपालगंज।

8. पुलिस निरीक्षक–सह–संचालन अधिकारी, मीरगंज सर्कल, जिला–गोपालगंज।

**... ... ... ... ... .याचिकाकर्ता**

बनाम

दिनेश्वर प्रसाद यादव, पुत्र स्वर्गीय गया राय, निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट– गुरुकुल मेहिंया, थाना– गरखा, जिला– सारण (छपरा)।

**... ... ... ... ... ... ... प्रत्यर्थी**

= = = =

साथ में

**लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 116/2022**
**में**
**सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 7901/2020**

= = = =

प्रतिवादी के लिए : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 223 ऑफ 2021 में)

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3
श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3

प्रतिवादी के लिए : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 224/2021 में)

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3
श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. से एएजी–3

प्रतिवादी के लिए : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 228/2021 में)

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3
श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3

प्रतिवादी के लिए : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 231/2021 में)

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3
श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3

प्रतिवादी के लिए : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

(पत्र पेटेंट अपील संख्या 234/2021 में)

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3
श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3

प्रतिवादी की ओर से : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 235/2021 में)

अपीलकर्ताओं की ओर से : श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3
श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3

प्रतिवादी की ओर से : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 237/2021 में)

| | | |
|---|---|---|
| अपीलकर्ताओं की ओर से | : | श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3<br>श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3 |
| प्रतिवादी की ओर से | : | श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता<br>श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता |

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 245/2021 में)

| | | |
|---|---|---|
| अपीलकर्ताओं के लिए | : | श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3<br>श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3 |
| प्रतिवादी के लिए | : | श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता<br>श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता |

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 249/2021 में)

| | | |
|---|---|---|
| अपीलकर्ताओं के लिए | : | श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3<br>श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3 |
| प्रतिवादी के लिए | : | श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता<br>श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता |

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 255/2021 में)

| | | |
|---|---|---|
| अपीलकर्ताओं के लिए | : | श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3<br>श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3 |
| प्रतिवादी की ओर से | : | श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता<br>श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता |

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 256 ऑफ 2021 में)

| | | |
|---|---|---|
| अपीलकर्ताओं की ओर से | : | श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3<br>श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3 |
| प्रतिवादी की ओर से | : | श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता<br>श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता |

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 311 ऑफ 2021 में)

| | | |
|---|---|---|
| अपीलकर्ताओं की ओर से | : | श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3<br>श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3 |
| प्रतिवादी की ओर से | : | श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता<br>श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता |

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 469/2021 में)

| | | |
|---|---|---|
| अपीलकर्ताओं की ओर से | : | श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3 |

श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी–3

प्रतिवादी की ओर से : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 470 ऑफ 2021 में)

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3
श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3

प्रतिवादी के लिए : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 471 ऑफ 2021 में)

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3
श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3

प्रतिवादी के लिए : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 554 ऑफ 2021 में)

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3
श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3

प्रतिवादी की ओर से : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

(लेटर पेटेंट अपील संख्या 116/2022 में)

अपीलकर्ताओं की ओर से : श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3
श्री संजय कुमार घोसरवे, ए.सी. टू एएजी.3

प्रतिवादी की ओर से : श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

= = = =

नियम 24, 2005 के तहत अपील योग्य होगा—रिट कोर्ट द्वारा व्यक्त विचार पूरी तरह से सही हैं और माननीय पूर्ण बेंच के विचारों के अनुरूप हैं—रिट कोर्ट द्वारा व्यक्त विचार में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है—अपील खारिज की गई। **(पैराग्राफ 30, 32)**

**2019(2) PLJR 293[FB]— संदर्भित किया गया ।**

= = = =

**5.** विद्वान रिट न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता थाने में पदस्थापित 29 पुलिसकर्मियों में से थे। उन्हें निलंबित कर दिया गया था। बाद में निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक द्वारा याचिकाकर्ता–प्रतिवादियों के विरुद्ध आरोप तय किए गए। आरोप पत्र में दिनांक 16.08.2016 को घटित घटना के तथ्यों के अलावा उल्लेख किया गया है कि नई आबकारी नीति के संबंध में समय–समय पर अपराध बैठकों में पुलिसकर्मियों को अवैध शराब की बरामदगी के लिए जागरूक किया गया। आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि थाने से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित 'खजुरिया' गांव में अवैध शराब का निर्माण और बिक्री पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी में थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, यह लापरवाही, कर्तव्यहीनता और संदिग्ध आचरण का स्पष्ट मामला है।

**6.** आरोप ज्ञापन से, यह प्रतीत होता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण आरोप स्थापित करने के लिए तीन दस्तावेजों पर भरोसा करने का इरादा रखता है। वे हैं (1) गोपालगंज जिलादेश सं. 738/2016, (2) गोपालगंज जिलादेश सं. 19/2017 और (3) प्राथमिकी की प्रति।

**7.** इसके अलावा विभाग ने आरोप पत्र में तीन गवाहों को नामित किया है, वे हैं (1) गोपनीय रीडर, पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज, (2) आरक्षित उप–निरीक्षक, पुलिस लाइन, गोपालगंज और (3) स्टेशन हाउस अधिकारी, टाउन पुलिस स्टेशन, गोपालगंज।

**8.** विद्वान रिट न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त मद संख्या 1 का दस्तावेज वह आदेश था जिसके तहत याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया था और आरोप पत्र के मद संख्या 2 का दस्तावेज वह आदेश था जिसके तहत निलंबन के उक्त आदेश को निरस्त किया गया था। तीसरा दस्तावेज प्रश्नगत घटना के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट थी। विभागीय जांच में गोपनीय रीडर, पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज ने मद संख्या 1 और 2 के दस्तावेजों को साबित किया जो पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज द्वारा घटना की सूचना मिलने के बाद जारी किए गए थे। रिजर्व पुलिस उपनिरीक्षक ने भी उक्त दोनों दस्तावेजों को साबित किया। थाने के प्रभारी अधिकारी ने गोपालगंज थाना कांड संख्या 347/2016 का पंजीकरण दिखाते हुए प्राथमिकी साबित की।

**9.** जाँच अधिकारी ने 20.11.2018 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को गश्त करने और मामलों की जांच के लिए आस–पास के गांवों में जाना चाहिए था, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए था कि बिहार राज्य द्वारा पूर्ण निषेध लगाया गया था और निषेध कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसके बावजूद, पुलिस स्टेशन से मुश्किल से दो किलोमीटर दूर अवैध शराब का अवैध व्यापार चल रहा था जो याचिकाकर्ताओं की लापरवाही, कर्तव्य में लापरवाही और उनके संदिग्ध आचरण का संकेत था।

**10.** अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता के आचरण को ध्यान में रखते हुए 'दो काले निशान' की सजा दी, जिसके तहत संचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोक दी गई। रिट याचिकाकर्ता(ओं) ने उक्त सजा के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की।

**11.** ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस उप–महानिरीक्षक अनुशासनात्मक प्राधिकरण से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार, यह रिट याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से सिद्ध कदाचार का मामला था, इसलिए, यह कठोर सजा की गारंटी देता है। इसलिए, उन्होंने बिहार पुलिस नियमावली, 1978 (इसके बाद 'पुलिस नियमावली' के रूप में संदर्भित) के नियम 853 ए (ए) के तहत आगे की कार्रवाई के लिए अपने पत्र संख्या 264 दिनांकित 25.01.2019 के माध्यम से पूरे अभिलेख पुलिस मुख्यालय को भेजे। इसके बाद, रिट याचिकाकर्ताओं को पुलिस नियमावली के नियम 853 ए (ए) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उनकी सेवाओं की प्रस्तावित समाप्ति के खिलाफ नोटिस दिया गया था। इसके बाद विवादित आदेश पारित किए गए।

**12.** रिट याचिकाकर्ताओं को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 2005 (जिसे आगे 'बिहार सी.सी.ए. नियम' कहा जाएगा) के नियम 24 के अंतर्गत अपील करने की सलाह दी गई। बाद में, रिट याचिकाकर्ताओं को सलाह दी गई कि पुलिस मैनुअल के नियम 853 ए (ए) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पुलिस महानिरीक्षक–सह–पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध वैधानिक अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए इस न्यायालय का रुख किया। पुलिस मैनुअल के नियम 853 ए (ए) के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश को रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई। रिट याचिकाकर्ता(ओं) ने प्रतिवादी संख्या 7 और प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा जारी किए गए परिणामी आदेशों पर भी आपत्ति जताई। मुख्य मामले (सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7906/2020) में, आरोपित आदेश क्रमशः अनुलग्नक '7', '8' और '9' में निहित हैं। सभी रिट याचिकाकर्ताओं के संबंध में समान आदेश पारित किए गए हैं।

**13.** रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने "*मंडमस*" की प्रकृति में एक रिट के लिए आगे अनुरोध किया है, जिसमें प्रत्यर्थियों को परिणामी आदेश जारी करने की तारीख से उन्हें कांस्टेबल के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें सभी परिणामी लाभ शामिल हैं, जिसमें उन्हें उनकी समाप्ति की अवधि के दौरान उनकी बहाली तक उपार्जित वेतन भी शामिल है।

## राज्य की प्रस्तुतियाँ

**14.** ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी पुलिस महानिदेशक, बिहार (प्रतिवादी संख्या 3) की ओर से रिट याचिका में एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। उन्होंने सेवा समाप्ति के आदेश का बचाव करने की मांग की। प्रतिवादी संख्या 3 का यह रुख है कि पुलिस संगठन के कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय

जांच (कार्यवाही) बिहार सीसीए नियम, 2005 द्वारा शासित होगी और प्रमुख दंड लगाने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए उसमें निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी तरह से लागू हैं। उनका कहना है कि पूरे मामले की पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के स्तर पर समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साबित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने खजुरिया गांव में अवैध शराब के निर्माण की जानकारी होने के आरोपों से इनकार किया। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 3 का मानना था कि याचिकाकर्ता(यों) ने पहले की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया था, जिसमें खजुरिया गांव से अवैध शराब बरामद की गई थी, जिसके कारण गोपालगंज टाउन पी.एस. केस संख्या 160/2016 और 334/2016 का जन्म हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 का मानना था कि चूंकि पुलिस टीम गश्त ड्यूटी के लिए बार–बार खजुरिया गांव जाती थी, इसलिए उन्हें उक्त गांव में लंबे समय से अवैध शराब बनाने के रैकेट के बारे में पहले से जानकारी थी, जो पुलिस स्टेशन से सिर्फ दो किलोमीटर दूर है। याचिकाकर्ता(यों) को गांव में हुई घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और जांच अधिकारी ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोप के लिए उन्हें दोषी पाया। प्रतिवादी संख्या 3 ने विद्वान रिट न्यायालय के समक्ष ज्ञापन संख्या 3132 दिनांक 27.04.2016 और ज्ञापन संख्या 1064 दिनांक 15.06.2020 (प्रति–शपथपत्र के अनुलग्नक 'ए' और 'बी' क्रमशः) प्रस्तुत कर प्रस्तुत किया कि इन ज्ञापनों द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 ने सभी संबंधितों को यह स्पष्ट कर दिया था कि बिहार राज्य के क्षेत्र में शराब निर्माण, बिक्री, परिवहन और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसलिए पूर्ण प्रतिबंध को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सौंपी गई थी। उनका कहना है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त आदेश की अनदेखी की गई है। चूंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप साबित हो गए थे, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 ने पुलिस मैनुअल के नियम 853 ए (ए) के तहत पारित अपने आदेश को उचित ठहराया।

**15.** पुलिस निरीक्षक–सह–संचालन अधिकारी, एस.पी. कार्यालय के ओएसडी (प्रतिवादी संख्या 8) की ओर से सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 7906/2020 में एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया था, जो केवल एक औपचारिकता है। प्रतिवादी संख्या 8 ने प्रस्तुत किया है कि उसने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया है, जो प्रतिवादी प्राधिकरण का अधीनस्थ अधिकारी होने के नाते कानून के अधीन है। वैकल्पिक उपाय की दलील यह कहते हुए उठाई गई है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष क़ानून के तहत अपील दायर कर दी है, इसलिए रिट याचिका टिकाऊ नहीं है।

## रिट न्यायालय का निर्णय

**16.** विद्वान रिट न्यायालय ने विवादित आदेशों को निरस्त कर दिया है। विवादित आदेशों को निरस्त करने के तर्क और औचित्य विवादित निर्णय (सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7906/2020) के पैराग्राफ '30', '31' और '32' में निहित हैं, जिन्हें हम नीचे पुन: प्रस्तुत करते हैं:–

"30. अब महानिदेशक–सह–महानिरीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 05.06.2020 को पारित आदेश की बात करें तो यह पाया गया है कि उक्त आदेश में कुल चौदह पैराग्राफ हैं, जिनमें से केवल एक पैराग्राफ में अस्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और दोहराया गया है कि थाने में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मियों को थाने से मुश्किल से दो किलोमीटर दूर स्थित संबंधित गांव में अवैध शराब की तैयारी और बिक्री के बारे में जानकारी थी। गोपालगंज पी.एस. केस संख्या 160/2016, 334/16 और 343/16 नामक तीन पूर्व आपराधिक मामलों का पंजीकरण वह कारण है, जिसे आदेश में सौंपा गया है कि याचिकाकर्ता सहित थाने में तैनात सभी पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में पता होना चाहिए था। याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में उनके अभ्यावेदन पर आरोपित आदेश में बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। विवादित आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण उसे स्वीकार्य क्यों नहीं था।"

"31. विभागीय कार्यवाही से संबंधित विवादित आदेश और अन्य दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, जिनकी प्रतियां वर्तमान रिट आवेदन में रिकॉर्ड पर लाई गई हैं, न्यायालय का मत है कि यह महज औपचारिकता थी, जो वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के नाम पर की गई थी, ताकि घटना के बाद उत्पन्न होने वाले सार्वजनिक हंगामे को रोका जा सके, जिसमें 16 लोगों की नकली शराब पीने से मौत हो गई थी। दोषी अधिकारियों/कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। संबंधित गांव में चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में पुलिस कर्मियों की जानकारी के अनुमान पर आरोप तय किए गए थे। यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता वास्तव में पुलिस स्टेशन से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर गांव में चल रही अवैध गतिविधियों से अवगत था और वह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्रवाई करने में विफल रहा।"

"32. मामले के इस दृष्टिकोण से, आरोपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 15.06.2020 का आरोपित आदेश तदनुसार रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। आरोपित आदेश को रद्द करने के परिणाम लागू होंगे और तदनुसार याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा, जिसके दौरान वह अवैध आदेश पारित करने के कारण सेवा से बाहर रहा।"

**17.** वैकल्पिक उपचार की याचिका के संबंध में, विद्वान रिट कोर्ट ने फैसले के पैराग्राफ '28' और '29' में निम्नलिखित टिप्पणी कीः .

"28. यह प्रश्न उठ सकता है कि बिहार पुलिस मैनुअल वैधानिक स्वरूप का है या नहीं। जैसा कि बिहार पुलिस मैनुअल की प्रस्तावना से स्पष्ट है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसे पुलिस अधिनियम V, 1861 की धारा 7 और 12 के अंतर्गत राज्य सरकार के प्राधिकार से जारी किया गया है। बिहार पुलिस अधिनियम, 1861 को बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 द्वारा बिहार राज्य से संबंधित सीमा तक निरस्त कर दिया गया है। बिहार पुलिस अधिनियम की धारा 29 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के अधीन दंड का प्रावधान करती है। न्यायालय के संज्ञान में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं लाया गया है कि बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के अधिनियमन के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से दंड लगाने की प्रक्रिया या तरीके को निर्धारित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं या नहीं। बिहार राज्य की ओर से इस बारे में कोई स्पष्ट रुख नहीं लिया गया है कि बिहार सीसीए नियमावली को लागू किया जा रहा है या नहीं। पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बिहार पुलिस मैनुअल के तहत जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

"29. वर्तमान मामले में पारित किए गए विवादित आदेश की प्रकृति को देखते हुए, मुझे मामले के उक्त पहलू पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यह कहना पर्याप्त है कि राज्य सरकार ने इस न्यायालय को इस आशय

का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिखाया है कि बिहार पुलिस मैनुअल के तहत निर्धारित प्रक्रिया बिहार सीसीए नियमावली 2005 के निर्माण के बावजूद लागू होती है। हालांकि, मैं बिहार सरकार के मुख्य सचिव को यह निर्देश देना उचित समझता हूं कि बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के बाद के अधिनियमन के मद्देनजर बिहार राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005 की प्रयोज्यता या अन्यथा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया जाए। यह बिना कहे स्पष्ट है कि बिहार राज्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से संबंधित प्रावधानों में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए उचित वैधानिक प्रावधान बनाने पर विचार कर सकता है।"

## अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ

**18.** इन अपीलों में बिहार राज्य (अपीलकर्ता) का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान ए.ए.जी. श्री पी.के. वर्मा ने केवल उस दलील को दोहराया है जो विद्वान रिट कोर्ट के समक्ष उठाई गई थी। अपनी दलील के दौरान विद्वान अपर महाधिवक्ता–3 ने दलील दी है कि विद्वान रिट कोर्ट का यह कहना सही नहीं है कि बिहार सी.सी.ए. नियमावली, 2005 के नियम 24 के तहत अपील केवल उन आदेशों के संबंध में की जा सकती है जो बिहार सी.सी.ए. नियमावली, 2005 के नियम 23 के तहत अपील योग्य हैं, अर्थात निलंबन का आदेश और दंड का आदेश। विद्वान ए.ए.जी.–3 ने विद्वान रिट कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर हमला किया है कि सिविल सेवा, ग्रुप–सी या ग्रुप–डी के सदस्यों के मामले में अपील उस प्राधिकारी के समक्ष की जाएगी, जिसके अधीन वह प्राधिकारी है जिसके विरुद्ध अपील किया गया आदेश देने वाला प्राधिकारी तत्काल अधीनस्थ है।

**19.** विद्वान ए.ए.जी. प्रस्तुत करते हैं कि जांच अधिकारी के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी गई है और याचिकाकर्ता(ओं) ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा उन पर पहले लगाए गए दंड को स्वीकार कर लिया है, जो उनकी सेवा से समाप्ति के दंड पर सवाल नहीं उठा सकते हैं।

## उत्तरदाता(ओं) की प्रस्तुतियाँ

**20.** दूसरी ओर, याचिकाकर्ता–प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान रिट न्यायालय के विवादित निर्णय का बचाव किया है। उनका साझा तर्क है कि वर्तमान मामला साक्ष्य रहित मामला है।

याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध केवल इस धारणा के आधार पर कार्यवाही की गई कि उन्हें गांव में अवैध शराब के निर्माण की जानकारी थी। यह तर्क दिया गया है कि विद्वान रिट न्यायालय ने सही रूप से माना है कि विवादित आदेश तथा विभागीय कार्यवाही से संबंधित अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से यह राय बनी है कि यह केवल औपचारिकता थी जो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के नाम पर की गई थी, ताकि घटना के बाद उत्पन्न हुए हंगामे को रोका जा सके, जिसमें सोलह लोगों की नकली शराब पीने से मृत्यु हो गई थी। दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई भी प्रयास सही रूप से नहीं किया गया। विद्वान रिट कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि बिहार राज्य द्वारा इस बारे में कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया गया है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बिहार सीसीए नियम या पुलिस मैनुअल के तहत जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। विद्वान रिट कोर्ट ने वास्तव में बिहार सरकार के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के बाद के अधिनियमन के मद्देनजर बिहार राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए बिहार सीसीए नियम, 2005 की प्रयोज्यता या अन्यथा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया जाए।

**<u>विचारण</u>**

**21.** हमने अपीलकर्ता बिहार राज्य के विद्वान ए.ए.जी. तथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। हम सबसे पहले यह जांच करेंगे कि क्या विद्वान रिट न्यायालय ने यह विचार करने में कोई गलती की है कि पुलिस मैनुअल का नियम 853 ए (ए) तथा बिहार सी.सी.ए. नियम का नियम 28 दो भिन्न तथा अलग–अलग प्रावधान हैं तथा दंड के आदेश के विरुद्ध उपचार के मामले में बिहार सी.सी.ए. नियम 2005 के प्रावधान सिविल सेवा के सदस्यों के मामले में लागू होंगे।

**22.** सबसे पहले हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि बिहार सी.सी.ए. नियम 2005 को बिहार सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है। बिहार सी.सी.ए. नियमों के खंड (डी) में 'सिविल सेवा संवर्ग' को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है राज्य की सिविल सेवाओं के सभी वर्ग और इसमें बिहार राज्य सरकार के तहत अन्य सभी समान संवर्ग या अतिरिक्त संवर्ग के मौजूदा पद भी शामिल हैं। भाग II के तहत नियम 4 में सिविल सेवाओं को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रावधान है:– (i) समूह–ए, (ii) समूह–बी, (iii) समूह–सी और (iv) समूह–डी।

**23.** वर्तमान मामले में हमें पुलिस मैनुअल के 853 ए (ए) के तहत आदेश के खिलाफ अपील के प्रावधानों की प्रयोज्यता से सरोकार हैं। जहां तक बिहार सीसीए नियम 2005 के तहत अपील के

प्रावधानों का सवाल है, भाग VII के तहत नियम 23 और 24 प्रासंगिक होंगे, इसलिए, उन्हें तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:–

> **"23. वे आदेश जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है।** सरकारी कर्मचारी निलंबन आदेश या दंड आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है।"
>
> "24. अपीलीय प्राधिकारी.– (1) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो सरकारी सेवा में नहीं रह गया है, नियम 23 में निर्दिष्ट आदेशों के विरुद्ध सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील कर सकता है या जहां ऐसा कोई प्राधिकारी निर्दिष्ट नहीं है:–
>
> (i) जहां ऐसा सरकारी कर्मचारी सिविल सेवा, ग्रुप–ए या ग्रुप–बी का सदस्य है या था या सिविल पद, ग्रुप–ए या ग्रुप–बी का धारक है, –
>
> (क) नियुक्ति प्राधिकारी को, जहां अपील किया गया आदेश उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किया गया है; या
>
> (ख) सरकार को, जहां ऐसा आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया है;
>
> (ii) जहां ऐसा सरकारी कर्मचारी सिविल सेवा, ग्रुप–सी या ग्रुप–डी का सदस्य है या था, उस प्राधिकारी को, जिसके अधीन अपील किया गया आदेश देने वाला प्राधिकारी तत्काल अधीनस्थ है।"
>
> (2) सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, तथापि पुनर्विचार याचिकाएं ज्ञापन के रूप में दायर की जा सकेंगी।
>
> (3) जहां वह व्यक्ति, जिसने आदेश के विरुद्ध अपील की है, अपनी पश्चातवर्ती नियुक्ति के आधार पर या अन्यथा ऐसे आदेश के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी बन जाता है, वहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी के समक्ष की जा सकेगी, जिसके अधीन वह व्यक्ति तत्काल अधीनस्थ है या सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी के समक्ष की जा सकेगी।"

**24.** बिहार सी.सी.ए. नियम 2005 के नियम 28 में एक अन्य उपाय अर्थात संशोधन का प्रावधान है। नियम 28 इस प्रकार है:–

"28. संशोधन.– इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, –

(i) सरकार, या

(ii) सरकार के सीधे अधीन किसी विभाग का प्रमुख, ऐसे विभाग या कार्यालय में सेवारत किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में, ऐसे विभाग के प्रमुख के नियंत्रण में, या

(iii) अपीलीय प्राधिकारी, या

(iv) सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी, और ऐसे सामान्य या विशेष आदेश में निर्धारित समय के भीतर,

संशोधित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर किसी भी समय, या तो स्वयं या अन्यथा किसी जांच के अभिलेखों को मंगवा सकता है और इन नियमों के तहत या नियम 32 द्वारा निरस्त नियमों के तहत किए गए किसी भी आदेश को संशोधित कर सकता है (जिसके खिलाफ अपील की अनुमति है लेकिन जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है या जिसके खिलाफ कोई अपील की अनुमति नहीं है), आयोग के साथ परामर्श के बाद जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है, और–

(क) पुष्टि कर सकता है, संशोधित कर सकता है या अलग रख सकता है आदेश, या (

ख) आदेश द्वारा लगाए गए दंड की पुष्टि, कमी, वृद्धि या उसे निरस्त करना, या जहां कोई दंड नहीं लगाया गया है वहां कोई दंड लगाना, या

(ग) मामले को आदेश देने वाले प्राधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी को भेजना, ऐसे प्राधिकारी को निर्देश देना कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे ऐसी आगे की जांच करे, या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित करना जो वह उचित समझेः

बशर्ते कि कोई दंड लगाने या बढ़ाने वाला कोई आदेश किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो और जहां नियम 14 के खंड (छह)

से (x) में निर्दिष्ट कोई दंड लगाने या संशोधित किए जाने वाले आदेश द्वारा लगाए गए दंड को उन खंडों में निर्दिष्ट किसी दंड में बढ़ाने का प्रस्ताव है, वहां नियम 17 में निर्धारित तरीके से जांच किए बिना और उचित अवसर दिए जाने के बाद ऐसा कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। संबंधित सरकारी कर्मचारी को जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताने का अधिकार नहीं है और जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है, वहां आयोग से परामर्श के पश्चात ही: आगे यह भी प्रावधान है कि पुनरीक्षण की शक्ति विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाएगी, जब तक कि–

(I) वह प्राधिकारी जिसने अपील में आदेश दिया है, या

(ii) वह प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील की जा सकती है, जहां कोई अपील नहीं की गई है, उसके अधीनस्थ न हो।

(2) पुनरीक्षण के लिए कोई कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि

(i) अपील के लिए सीमा अवधि समाप्त न हो जाए, या

(ii) अपील का निपटारा न हो जाए, जहां ऐसी कोई अपील की गई है।

(3) पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी जैसे कि यह इन नियमों के तहत अपील हो।"

**25.** इस स्तर पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिहार सी.सी.ए. नियम 2005 के नियम '32' में एक निरसन और बचत प्रावधान निहित है, जो इस प्रकार है:–.

"32. निरसन और बचत– सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 और बिहार और उड़ीसा अधीनस्थ सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1935 को अपनाते हुए 3 जुलाई, 1963 की अधिसूचना–8051–ए के साथ–साथ उक्त दो नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया जाता है।

(2) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 और बिहार और उड़ीसा अधीनस्थ सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1935 के तहत समय–समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों को निरस्त कर दिया जाता है।

(3) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 और बिहार और उड़ीसा अधीनस्थ सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1935 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई उन नियमों द्वारा या उनके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई या की गई मानी जाएगी जैसे कि वे नियम उस दिन लागू थे जिस दिन ऐसी चीज या कार्रवाई की गई थी या की गई थी।

(4) इन नियमों में कुछ भी किसी भी व्यक्ति को अपील के किसी भी अधिकार से वंचित करने के लिए काम नहीं करेगा, जो उसके पास होता अगर ये नियम उनके लागू होने से पहले पारित किसी आदेश के संबंध में नहीं बनाए जाते।

(5) इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, निरस्त किए गए नियमों के तहत शुरू की गई कोई भी विभागीय कार्यवाही उन नियमों के तहत जारी रहेगी, जिसमें लगाए गए किसी भी दंड के खिलाफ अपील भी शामिल है, जैसे कि वे नियम अभी भी मौजूद थे।

**26.** अब, हम पुलिस नियमावली के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर एक नज़र डालते हैं। नियम 834 (ए) में ब्लैक मार्क लगाने पर चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है:

(क) चूंकि जब्ती पेंशन को प्रभावित करती है, इसलिए इंस्पेक्टर के पद से नीचे के सभी अधिकारियों और विभाग के सभी मंत्रालयिक अधिकारियों को उचित मामलों में ब्लैक मार्क दिए जा सकते हैं। किसी भी अपराध के लिए एक से अधिक ब्लैक मार्क नहीं दिए जाएंगे, सिवाय इसके कि जब अधिक भ्रष्टता का उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ख) तीन ब्लैक मार्क होने पर सामान्यतः वेतन वृद्धि जब्त या रोकी जाएगी, जिसकी अवधि आदेश में निर्दिष्ट की जाएगी और अवधि समाप्त होने के बाद अधिकारी को उसके पूर्व पद पर बहाल कर दिया जाएगा। वेतन वृद्धि जब्त या रोकी जाने पर कोई ब्लैक मार्क मूल्य नहीं होगा।

नियम 835 ब्लैक मार्क के प्रभाव के लिए प्रावधान करता है, किसी विशिष्ट अपराध के लिए वृद्धि में कमी या ज़ब्त या वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित ब्लैक मार्क मूल्य होगा:

(i) छह महीने तक की कटौती, आदि... 1 ब्लैक मार्क।

(ii) बारह महीने तक की कटौती, आदि... 2 ब्लैक मार्क

(iii) बारह महीने से अधिक की कटौती, आदि... 3 ब्लैक मार्क.

इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी एक अपराध में चाहे जितने भी दाग हों, उसे एक बड़ी सजा के रूप में गिना जाएगा।

**27.** नियम 837 में ब्लैक मार्क के बारे में सामान्य नियम दिए गए हैं। ब्लैक मार्क रिकॉर्ड में स्थायी रूप से बने रहेंगे और नियम 826 के प्रावधानों के अधीन बाद की सज़ाओं की प्रकृति और सीमा तय करने में उन्हें ध्यान में रखा जाएगा, बशर्ते कि अच्छे सेवा अंकों और अपराधी के पक्ष में रिकॉर्ड पर अच्छे काम की किसी भी अन्य मान्यता के लिए उचित छूट दी जाएगी। ब्लैक मार्क देने वाले आदेश में अपराधी के खिलाफ बकाया ब्लैक मार्क की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी और जब एक और ब्लैक मार्क लगाने से इन नियमों के तहत वेतन वृद्धि की हानि हो सकती है, तो आदेश में उसे चेतावनी दी जाएगी कि ऐसा तथ्य है।

**28.** नियम 838 में छोटे दंड की बात की गई है। नियम 839 में दंड अभ्यास की बात की गई है। नियम 851 (ए) में प्रावधान है कि नियम 828 में उल्लिखित बड़े दंड के मामलों को छोड़कर कोई अपील नहीं की जाएगी। नियम 828 में नियम 824 के क्रम (ए) से (एफ) के तहत उल्लिखित दंड का उल्लेख है। ब्लैक मार्क नियम 824 के क्रम (एफ) के तहत है, इसलिए यह अपील योग्य है। नियम 851 के खंड (बी) के तहत, अधीक्षक द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील उप महानिरीक्षक के समक्ष होगी और 851 के खंड (सी) के आधार पर, अपीलीय प्राधिकारी के आदेश नियम 853 के प्रावधानों के अधीन अंतिम होंगे।

तैयार संदर्भ के लिए नियम 853 और 853 ए को यहाँ उद्धृत किया जाना आवश्यक हैः

> “853. ज्ञापन और पुनरीक्षण.– कोई भी ज्ञापन या याचिका, जो अनुशासनात्मक मामले में पारित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन है, उस प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण को प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जो वर्तमान में लागू नियम के तहत अपील पर विचार करने के लिए सशक्त है: बशर्ते कि उप–निरीक्षक के पद से नीचे रैंक का कोई अधिकारी, यदि अनुशासनात्मक मामले में उसके खिलाफ अपील में बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी का अंतिम आदेश पारित किया गया है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध ज्ञापन उचित माध्यम से सरकार को उस तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत कर सकता है, जिस तारीख को

ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को अपील पर आदेश के बारे में सूचित किया गया था:

आगे यह भी प्रावधान है कि सहायक उप–निरीक्षक के पद से नीचे और उससे नीचे के अधिकारियों के ज्ञापन केवल बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी के मामलों में महानिरीक्षक द्वारा विचार किए जाएंगे, यदि वे उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं, जिस तारीख को ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को अपील में पारित आदेश के बारे में सूचित किया गया था:

आगे यह भी प्रावधान है कि महानिरीक्षक उपनिरीक्षक से नीचे के रैंक के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त उन अभिलेखों का विवरण तिमाही आधार पर सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिन्हें इन नियमों के प्रावधानों के तहत उसके द्वारा रोक लिया गया है।"

“853 ए. (क) महानिरीक्षक किसी भी मामले में फाइल मंगा सकता है, भले ही कोई अपील न हो और ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे। उप महानिरीक्षक कोई भी फाइल मंगा सकता है, लेकिन उसे उसे महानिरीक्षक को अपने आदेश के लिए अपनी सिफारिश के साथ भेजना चाहिए। विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश की तिथि से उचित समय के भीतर उपरोक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ख) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी अनुशासनात्मक मामले में कार्यवाही के लिए कह सकती है, भले ही कोई अपील या स्मारक न हो, और ऐसा आदेश पारित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।

(ग) जब कोई अपील दायर की गई हो और महानिरीक्षक अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सोचता है कि उसे सजा बढ़ानी चाहिए, तो वह अपील को खारिज कर सकता है, लेकिन साथ ही उस आदेश में यह भी उल्लेख करना होगा कि नियम 853 ए (क) में दी गई शक्तियों के अनुसार उसने सजा बढ़ाने के लिए इसकी समीक्षा करने और जहां आवश्यक हो, कारण बताओ नोटिस आदि प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।"

29. बिहार पुलिस मैनुअल पर इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले में **काशी नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य;** 2019(2) PLJR 293 (HC); के मामले में चर्चा की गई है। माननीय पूर्ण पीठ ने माना है कि पुलिस मैनुअल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और राज्यपाल के आदेश के तहत अधिसूचित किया गया है, यह पुलिस सेवा में भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, दंड, स्थानांतरण, छुट्टी, सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित मामलों से संबंधित क्षेत्र को नियंत्रित करेगा जब तक कि विधायी अधिनियम द्वारा राज्य सरकार द्वारा वैधानिक नियम नहीं बनाए जाते। पूर्ण पीठ की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने फैसले के पैराग्राफ '6' में निम्नानुसार माना है:–

> "6. तर्क के लिए यह मान भी लें कि बिहार पुलिस मैनुअल प्रशासनिक निर्देशों या सरकारी आदेशों का संकलन है, तो यदि संविधान–पूर्व अधिनियम, अर्थात् पुलिस अधिनियम, 1861 का सहारा कुछ संशोधित प्रशासनिक निर्देशों को तैयार करने के लिए लिया गया है, तो उन्हें ऐसे कानूनों और निर्देशों (वर्तमान मामले में बिहार और उड़ीसा पुलिस मैनुअल, 1930) के अनुक्रम में भी माना जा सकता है जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले लागू थे ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 313 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य की कार्रवाई को बचाया जा सके। मैं उस सिद्धांत के तर्क को अपनाना चाहूंगा जो प्रशासनिक निर्देशों को बचाने के पक्ष में है जो वैधानिक नियमों या इसके विपरीत किसी कानून की अनुपस्थिति में शासन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। बिहार पुलिस मैनुअल एक संकलन है जिसका पालन बिहार पुलिस बलों में पूरे राज्य में नियुक्तियों के उद्देश्य से किया जाता रहा है। इसलिए इसे सरकार का अधिदेश प्राप्त है, जिसके बदले में पुलिस प्रशासन सहित शासन का दायित्व सौंपा गया है, जो एक विशेष राज्य का विषय है। बिहार पुलिस मैनुअल में निहित निर्देशों का पालन बिहार राज्य के लिए बाध्यकारी है और यहां तक कि यह तर्क दिया जाता है कि कुछ प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका हैं, फिर भी ऐसे प्रावधानों की अवहेलना या उनके उल्लंघन में कार्य करने का इरादा नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यू.पी. पुलिस विनियमावली के विनियम 541 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि विनियम में अनिवार्य बल था। उक्त निर्णय **यू.पी. राज्य**

**और अन्य बनाम राधा किशन और अन्य** (रिट याचिका संख्या 8251 (एस/बी) 1987) के मामले में 23.12.2009 को तय किया गया है।

"7. इसलिए मैं यह मानने के लिए इच्छुक हूं कि भले ही बिहार पुलिस मैनुअल के संकलन को किसी वैधानिक कानून के तहत शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए नियम या विनियमन के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, और यह अधीनस्थ या प्रत्यायोजित कानून की प्रकृति का हिस्सा नहीं हो सकता है, फिर भी बिहार पुलिस मैनुअल सरकार के लिए बाध्यकारी है, वे प्रतिवादियों द्वारा तब तक पालन किए जाने के हकदार हैं जब तक कि इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाया गया है।"

**30.** वर्तमान मामले में, बेशक, पुलिस महानिरीक्षक–सह–महानिदेशक ने बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 853 ए के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया है। किसी भी तरह से यह नहीं माना जा सकता है कि बिहार पुलिस मैनुअल में पुनरीक्षण प्राधिकारी का उक्त आदेश बिहार सीसीए नियम के नियम 24 के तहत अपील योग्य होगा। इसलिए, हम पाते हैं कि विद्वान रिट कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए विचार बिल्कुल सही हैं और माननीय पूर्ण पीठ के विचारों के अनुरूप हैं।

**31.** सुनवाई के दौरान, वास्तव में, श्री पी.के. वर्मा, विद्वान ए.ए.जी. एक बार फिर यह साबित करने की स्थिति में नहीं हैं कि बिहार सी.सी.ए. नियम उन पुलिसकर्मियों के संबंध में लागू होंगे जो पुलिस मैनुअल द्वारा शासित हैं। इसलिए, हमें इस मामले में विद्वान ए.ए.जी. 3 के प्रस्तुतीकरण में कोई तथ्य नहीं मिला। प्रस्तुतीकरण अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

**32.** जहां तक पुलिस महानिदेशक द्वारा अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए लगाए गए दण्ड का प्रश्न है, हमारा मत है कि विद्वान रिट न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, रिट याचिकाकर्ताओं को दिया गया काला निशान पुलिस मैनुअल के नियम 824 के खण्ड (एफ) के अन्तर्गत एक बड़ी सजा है। यह एक अपीलीय आदेश है। न तो रिट याचिकाकर्ताओं ने और न ही विभाग ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील की है। नियम 853 ए (ए) के अन्तर्गत महानिरीक्षक किसी भी मामले में फाइल मंगा सकते हैं, भले ही कोई अपील न हो और ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें। इसी प्रावधान के अन्तर्गत उप महानिरीक्षक कोई भी फाइल मंगा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने आदेश के लिए अपनी संस्तुति के साथ उसे महानिरीक्षक को संदर्भित करना चाहिए। यह कार्रवाई अंतिम आदेश और विभागीय कार्यवाही की तिथि से उचित समय के अन्दर की जानी चाहिए।

**33.** नियम 853 ए की पूरी योजना को पढ़ने से पता चलता है कि जबकि खंड (ए) उन मामलों का ध्यान रखता है जिनमें कोई अपील नहीं होती है, (जोर दिया गया) नियम 853 ए का खंड (सी) यह प्रावधान करता है कि जब कोई अपील दायर की गई हो और महानिरीक्षक अपने विचार से यह सोचता है कि उसे सजा बढ़ानी चाहिए, तो वह अपील को खारिज कर सकता है, लेकिन साथ ही उस आदेश में यह भी उल्लेख करना चाहिए कि नियम 853 ए (ए) में दी गई शक्तियों के अनुसार, उसने सजा बढ़ाने के लिए इसकी समीक्षा करने और जहां आवश्यक हो, कारण बताओ नोटिस आदि प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

**34.** यह स्मरणीय है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें पुलिस महानिरीक्षक–सह–महानिदेशक के समक्ष अपील दायर की गई हो। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा विद्वान रिट न्यायालय के समक्ष पारित आदेशों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक ने अभिलेख मंगाए और उन्हें पुलिस महानिरीक्षक–सह–महानिदेशक को संदर्भित किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और उसे प्राप्त करने पर यह विचार किया कि रिट याचिकाकर्ता संदिग्ध आचरण और कर्तव्य में लापरवाही के दोषी हैं, लेकिन उन्हें दी गई सजा कम है।

**35.** जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस मामले में कोई अपील दायर नहीं की गई थी, इसलिए पुलिस महानिरीक्षक–सह–महानिदेशक को पुलिस मैनुअल के नियम 853 ए के खंड (सी) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं मिला। इसके अलावा, विद्वान रिट कोर्ट ने पाया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में उनके प्रतिनिधित्व पर आरोपित आदेश में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है। आरोपित आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता(ओं) का स्पष्टीकरण प्रतिवादी संख्या 3 को क्यों स्वीकार्य नहीं था। इसलिए, हमारा विचार है कि आरोपित आदेश दोनों कारणों से क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रस्त है। विद्वान रिट कोर्ट के फैसले में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं पाई जा सकती है।

**36.** नतीजतन, इन लेटर पेटेंट अपीलों को खारिज कर दिया जाता है, हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

**(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)**

**(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)**

लेखी/अविन/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।